

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 842]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2014/चैत्र 13, 1936

No. 842]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2014/CHAITRA 13, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2014

का. आ. 1028(अ).—अतः केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि त्रिपुरा राज्य में **ए.डे.बि. जि.सि.एस. से बरासुरा** तक पाइपलाइन से होकर प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक पाइपलाइन ओएनजीसी लिमिटेड, त्रिपुरा द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतः केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिकार, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपाबद्ध कर दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाने के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओल्ड ओ. बी. एच. बिल्डिंग, ओएनजीसी बेस कॉम्प्लेक्स, वाधारघाट, अगरतला, त्रिपुरा को लिखित रूप से आपत्ति भेज सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी लीगल प्रेक्टिशनर द्वारा।

मौजा : श्रीनगर

उप-संभाग : सदर

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पी.एम.पी. धारा की उप-धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

भूमि की भूमि अनुसूची :-

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं.	प्लॉट सं.	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	पश्चिम त्रिपुरा	सदर	श्रीनगर	1790	4710/p	नाल	0.35
कुल							0.35

मौजा : राधापुर

उप-संभाग : जिरानीया

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पी.एम.पी. धारा की उप-धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

भूमि की भूमि अनुसूची :-

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं.	प्लॉट सं.	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	पश्चिम त्रिपुरा	जिरानीया	राधापुर	327	372	नाल	0.21
2				463	355/p	नाल	0.12
3				581	370	नाल	0.31
4				52	362/p	नाल	0.13
5				393	1169/p	नाल	0.10
कुल							0.87

मौजा : जिरानीया

उप-संभाग : जिरानीया

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पी.एम.पी. धारा की उप-धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

भूमि की भूमि अनुसूची :-

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं.	प्लॉट सं.	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	पश्चिम त्रिपुरा	जिरानीया	जिरानीया	1/136	6645/p	नाल	0.10
2				3371	6335	नाल	0.30
3				100	6643/7493/p	नाल	0.33

4				329	6602/p	नाल	0.08
5				31/5	6247/p	नाल	0.15
6				1641	6259/p	नाल	0.04
7				1305	6081/7647/p	टिला	0.11
8				289	6586/p	नाल	0.06
9				667/5	6951/7165/p	नाल	0.10
10				1226	2766/7405/p	नाल	0.07
कुल							1.34

मौजा : चम्पक नगर**उप-संभाग : जिरानीया**

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पी.एम.पी. धारा कि उप-धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

भूमि की भूमि अनुसूची :-

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं.	प्लॉट सं.	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	पश्चिम त्रिपुरा	जिरानीया	चम्पक नगर	283	2288/p	पुकुर(पार)	0.13
2				447	2276/p	नाल	0.13
					2439/p	नाल	0.10
3				343	2329/p	नाल	0.20
4				52/1, 2	300/p	नाल	0.07
5				46/2	2283/p	नाल	0.07
6				246/1	1566/p	नाल	0.10
कुल							0.80

मौजा :-चाम्पावारी**उप-संभाग : जिरानीया**

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पी.एम.पी. धारा कि उप-धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

भूमि की भूमि अनुसूची :-

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं.	प्लॉट सं.	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	पश्चिम त्रिपुरा	जिरानीया	चाम्पावारी	27/3	646/p	भिटि	0.10
					647/p	लुंगा	0.41
					649/p	भिटि (टिला)	0.10

[फा. सं. ओ-12026 / 3 / 2014-ओ.एन.जी.-III]
के. एम. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 19th March, 2014

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipelines under the land to Competent Authority, Old OBH Building, ONGC South colony, Badharghat, Agartala-799014.

Sub-Division :—Sadar

Schedule of Additional Land :-

Sl. No.	District	Sub - Division	Mouja	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in acre
1	West Tripura	Sadar	Srinagar	1790	4710/p	Nal	0.35
Total							0.35

Sub-Division :—Jirania

Schedule of Additional Land :-

Sub-Division :—Jirania

Schedule of Additional Land :-

[illegible]

Mouja :—Champak Nagar**Sub-Division :—Jirania**

The following Schedule of Additional Plots & Area have been included / increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act 1962

Schedule of Additional Land :-

Sl. No.	District	Sub - Division	Mouja	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in acre
1	West Tripura	Jirania	Champak Nagar	283	2288/p	Pond (Par)	0.13
2				447	2276/p	Nal	0.13
					2439/p	Nal	0.10
3				343	2329/p	Nal	0.20
4				52/1,2	300/p	Nal	0.07
5				46/2	2283/p	Nal	0.07
6				246/1	1566/p	Nal	0.10
Total							0.80

Mouja :—Champabari**Sub-Division :—Jirania**

The following Schedule of Additional Plots & Area have been included / increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act 1962

Schedule of Additional Land :-

Sl. No.	District	Sub - Division	Mouja	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in acre
1	West Tripura	Jirania	Champabari	27/3	646/p	Viti	0.10
					647/p	Lunga	0.41
					649/p	Viti (Tilla)	0.10
2				4/37	554/p	Tilla	0.30
3				34	567/p	Viti (Tilla)	0.16
4				3/37	554/p	Tilla	0.47
5				4/18	154/p	Tilla	0.61
Total							2.15

[F. No. O-12026/3/2014-ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.